

खनन अनापत्ति के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र

1. प्रार्थी का नाम.....पिता का नाम.....
निवास.....
2. खनन हेतु प्रस्तावित भूमि : ग्राम का नाम.....
तहसील..... खसरा नम्बर किस्म..... कुल रकबा
.....
3. खनन विभाग द्वारा जारी स्वीकृति आदेश की छाया प्रति प्रस्तुत की जाये।
4. चरागाह भूमि हो तो ग्राम पंचायत/संस्था का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न किया जावे।
5. यदि प्रस्तावित भूमि जेडीए/नगर निगम क्षेत्र में हो तो संबंधित संस्था से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
6. यदि प्रस्तावित/स्वीकृत क्षेत्र के पास लगती हुई भूमि निजी खातेदारी की है तो उक्त खातेदार से स्वयं को सहमति प्राप्त करनी होगी।

हस्ताक्षर प्रार्थी

रिपोर्ट तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी

प्रभारी अधिकारी (राजस्व) की टिप्पणी

तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर खान अनापत्ति दिया जाना उचित है/नहीं है।

जिला कलक्टर